35. गेवाराम पुत्र श्री सादुल
36. गोलुराम पुत्र श्री सादुल
37. रूघनाथ पुत्र श्री सादुल
सभी कौम– गुर्जर, निवासीगण ग्राम– पाटण, तहसील– जैतारण जिला–पाली राज0।
38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, जैतारण, तहसील जैतारण जिला–पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.16/12/2016**

उपस्थितः– 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 24/09/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा–पाटण पटवार हल्का–रास–2, तहसील–जैतारण में आराजी विवरण खाता सं0 120 के खसरा नंबर 2951 रकबा 07–10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2952 रकबा 00–12 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नंबर 2953 रकबा 18–05 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2954 रकबा 05–15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2955 रकबा 08–17 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2956 रकबा 11–09 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2958 रकबा 08–12 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2959 रकबा 03–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2960 रकबा 15–11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2961रकबा 07–03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2963 रकबा 03–00 बीघा किस्म चाही दोयम, कुल खसरा 11 कुल रकबा 90–00 व खाता संख्या 121 के खसरा नंबर 2893 रकबा 09–04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 2895/1 रकबा 43–10 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 52–14 बीघा उक्त खातेदारी कृषि भूमि को इस वादपत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया गया है, उक्त भूमि की वर्तमान जमाबंदी वादपत्र के साथ प्रस्तुत है।

इसी प्रकार ग्राम–पाटण, पटवार हल्का– रास–2, तहसील– जैतारण, जिला–पाली राज0 आराजी विवरण खाता संख्या 6 में खसरा नंबर 2794/1 रकबा 15–00 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 2812/6 रकबा 07–03बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 2813/2 रकबा 03–00 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा 3 कुल रकबा 20–00 बीघा निम्न विवरण की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है। उक्त खसरा नंबरान की खातेदारी कृषि भूमि को इस वादपत्र में

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि के नाम निर्दिष्ट किया गया है, उक्त भूमि की वर्तमान जमाबंदी वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 14 से 37 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 14 एवं 16 से 37 अपने-अपने हक एवं हिस्सानुसार काबिज होकर शांतिपूर्वक बरोकटोक मुतालिक काश्त कार्य करते चल आ रहे है। वादपत्र के पद संख्या 02 में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के नाना उदा पुत्र श्री लादु के अकेले के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। जिसपर वादीगण के नाना अपने जीवनकाल में काबिज खातेदार काश्तकार थे तथा वादीगण के नाना ने अपने जीवनकाल में वाद पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि के खसरा नंबर 2794/1 एवं 2813/2 कुल रकबा 18-00 बीघा भूमि अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड यूनिट राबड़ियावास को माईनिंग कार्य हेतु बेचान कर दी थी। जो नामा0स0 97 दिनांक 22.01.2015 न्यायालय आदेश के तहत उदा पुत्र श्री लादु के स्थान पर बिलानाम माइनिंग लीज वास्ते अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड यूनिट राबड़ियावास को माईनिंग कार्य हेतु लीज अवधि तक के लिए दर्ज किया। एवं खसरा नंबर 2812/6 रकबा 02-00 बीघा में खातेदार उदा पुत्र श्री लादु यथावत है तथा वादीगण के नाना की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर वादीगण स्वयं काबिज खातेदार काश्तकार है। वादीगण के नाना उदा पुत्र श्री लादु जी ने अपने जीवनकाल में ज्येष्ठ पुत्री मदुड़ी(मधुदेवी) के सेवा चाकरी से संतुष्ठ एवं खुश होकर दिनांक 23.04.1998 को वाद पत्र के पद नं. 01 व 02 में वर्णित कृषि भूमियों में से अपने 1/5 हक एवं हिस्से की भूमि का एक पंजीबद्ध वसीयतनामा अपनी जयेष्ठ पुत्री मदुड़ी पत्नी श्री हरीराम जाति- गुर्जर निवासी- केसरपुरा के पक्ष में तहरीर एवं तकमिल करवा दिया। तत्पश्चात वसीयतनामे में वर्णित खसरा नंबर 2794/1 व 2813/2 के संपूर्ण रकबा का बेचान अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड यूनिट राबड़ियावास को माईनिंग कार्य हेतु स्व0 उदा पुत्र श्री लादु जी ने स्वयं ने बेचान कर दिया। स्व0 उदा पुत्र श्री लादुजी के जायन्दा कोई पुत्र नहीं था तथा स्व0 उदा पुत्र श्री लादु के जायन्दा 5 पुत्रियां हुई जिसमें ज्येष्ठ पुत्री मदुड़ी(मधुदेवी) है जो वादीगण की माता है एवं वसीयतगृहिता है जिसकी मृत्यु दिनांक 02.08.2015 को हो चुकी है एवं शेष चार पुत्रियां जो प्रतिवादीगण संख्या 15/1 लगायत 15/4 है तथा स्व0 उदा पुत्र श्री लादु के जायन्दा कोई पुत्र नहीं होने से स्व0 उदा पुत्र श्री लादु ने अपने नाम एवं वंश को आगे चलाने के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 16 जोराराम को अपनी समाज की रीति रिवाज अनुसार गोद ले लिया और वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि स्व0 उदा पुत्र श्री लादु के 1/5 हक हिस्से की भूमि जो वसीयतशुदा भूमि थी। उसमें से आधी यानि 1/2 हिस्से की भूमि दिनांक 20.12.2011 को जोराराम जो प्रतिवादी संख्या 16 के पक्ष में बेचान कर दी। वादपत्र के पद संख्या 01 एवं 02 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण नाना उदा पुत्र श्री लादु अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्से की भूमि में काबिज खातेदार काश्तकार थे, उनकी मृत्यु दिनांक 08.04.2013 के पश्चात वादीगण की माता स्व0 श्रीमति मदुड़ी पत्नी हरीराम उक्त भूमि पर काबिज खातेदार रहते हुए फौत हुई। उसके पश्चात अब वादीगण उक्त भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार है और बरोकटोक उक्त कृषि भूमि

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण के नाना उदा पुत्र श्री लादु की मृत्यु हो जाने के पश्चात उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण की माता जो वसीयतगृहिता थी, ने उक्त भूमि पर कब्जा काश्त एवं भूमि का उपयोग-उपभोग तो कर लिया। परन्तु अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश की महिला होने व वसीयत को ही भूमि का पट्टा एवं राजस्व रेकर्ड समझ लिया और वसीयतनामा के आधार पर अपने पिता उदा पुत्र श्री लादु की मृत्यु के पश्चात फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज न ही करवाया। तत्पश्चात दिनांक 02.08.2015 को श्रीमति मदुड़ी जो वसीयतगृहिता थी, की भी मृत्यु हो गई। इस कारण उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवाने पटवार कार्यालय में उपस्थित हुए तो संबंधित हल्का पटवारी द्वारा वादीगण के नाम नामान्तकरण दर्ज करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि आप जो वसीयतनामा लेकर आये है इसमें वसीयतकर्ता एवं वसीयतगृहिता दोनों फौत हो चुके है इसलिए आपका उक्त म्यूटेशन मैं दर्ज नहीं कर सकता। इसलिए अब आप उक्त म्यूटेशन के लिए तहसीलदार, जैतारण से आदेश करवाकर ले आओ तब वादी संख्या 02 ने एक प्रार्थना पत्र मय वसीयतनामा की फोटो प्रति संलग्न कर तहसीलदार साहब जैतारण को पेश कर म्यूटेशन दर्ज किये जाने बाबत् निवेदन किया तब तहसीलदार महोदय जैतारण ने वादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जांच हेतु संबंधित हल्का पटवारी को भिजवा दिया जिसपर संबंधित हल्का पटवारी द्वारा जांचकर जांच रिपोर्ट तहसीलदार महोदय, जैतारण के समक्ष पेश कर दी। तत्पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र एवं जांच रिपोर्ट काफी समय तक तहसील कार्यालय में पड़ी रही और जनवरी 2017 में तहसीलदार महोदय जैतारण द्वारा एक मुकदमा संख्या 04/2017 उक्त म्यूटेशन बाबत् दर्ज कर तारीख पेशी 25.01.2017 मुकर्रर कर जरिये नोटिस के वादी संख्या 02 को तलब किया। जिसपर वादी संख्या 02 तहसीलदार साहब जैतारण के समक्ष उपस्थित हुआ और म्यूटेशन बाबत् अपना पक्ष रखा। जिसपर तहसीलदार महोदय,जैतारण द्वारा सुनवाई करते हुए यह कार्यवाही की कि उक्त म्यूटेशन बाबतृ वसीयतकर्ता एवं वसीयतगृहिता दोनों फौत हो जाने की स्थिति में कोर्ट के आदेश बिना उक्त म्यूटेशन दर्ज किया जाना संभव नहीं है और प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को श्रीमान तहसीलदार महोदय ने अस्वीकार कर दिया। वादपत्र के पद संख्या 02 में वर्णित खसरा नंबर 2812/6 के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाना का नाम उदा पुत्र श्री लादू के स्थान पर उदा पुत्र श्री लाडू दर्ज है जो गलत है। एक रॉन्ग एन्ट्री है जिसे हटाकार वादी के नाना का सही व वास्तविक नाम उदा पुत्र श्री लादू दर्ज कर राजस्व रेकर्ड को दुरस्त किये जाने के आदेश फरमावें। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण संख्या 38 राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वादी की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80(02) सी0पी0सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 25.01.2017 को बमुकाम जैतारण में उत्पन्न हुआ जब वादीगण उक्त खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार महोदय, जैतारण के कार्यालय में उपस्थित

(मोहनलाल खटमावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हुए तब तहसीलदार महोदय द्वारा यह कहते हुए नामान्करण दर्ज करने से इंकार कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया कि जब तक म्यूटेशन बाबत् न्यायालय द्वारा कोई आदेश लाकर नहीं देते है। तब तक उक्त नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार महोदय जैतारण द्वारा स्पष्ट इंकार कर देने एवं प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर देने के कारण यह घोषणा का वादपत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो श्रीमान के श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो अन्दर म्याद पेश है। वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 14, 17 से 37 बावजुद सम्मनस् सूचना / तामिल के अनुपस्थित रहने रो इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 15/1 से 15/4 एवं 16 की ओर से वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 15/1 से 15/4 की और से ईकबालिया जवाब दावा पेश किया, जिसमें वाद के समस्त पद स्वीकार कर वादीगण का माफिक अनुतोष वाद डिक्री किये जाने की इस्दूआ की। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 15/1, 15/2 एवं 15/3, 15/4 ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया, जिसे पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा में व्यक्त किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच में राजीनामा हो गया हैं। पक्षकारान् लोक अदालत की भावना से से प्रेरित होकर उक्त अनवान के प्रकरण को माफिक वाद अनुतोष के निस्तारित फरमावें। वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ pw 1 विरमराम पुत्र हरीराम, गवाह हनुमानराम pw 2, हापूराम pw 2, पेश किये बाद प्रदर्श सामिल मिसल किये गये। बहस वकुलाय सुनी गई।

उक्त वाद के प्रकरण तहसीलदार जैतारण से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई, सामिल मिसल हैं। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट में व्यक्त किया गया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम पाटण के खसरा नम्बर 2851 से 2856, 2859 से 2861, 2863, 2895/1 की संयुक्त खातेदार में वसियतकर्ता उदा पुत्र लादू का 1/10 हिस्सा दर्ज हैं। ख.नं. 2812/6 रकबा 2 बीघा उदा पुत्र लाडू कौम गुर्जर की खातेदारी भूमि हैं वसियतकर्ता उएदा पुत्र लादू द्वारा उपरोक्त खसरों में से अपने हिस्से 1/5 की भूमि पंजीकृत वसियत दिनांक 23.04.1198 को अपनी पुत्री मदूड़ी पत्नि हरीराम के पक्ष में की थी। बाद में 1/5 के 1/2 हिस्सा की भूमि का बेचान जोराराम पुत्र उदा को कर दिया गया। वसियत ग्रहिता मदूड़ी पत्नि हरीराम 2.8.15 को फौत हो चुकी है तथा वसियतकर्ता उदा पुत्र लादू की मृत्यु दिनांक 8.4.13 को हो चुकी हैं। मौतबिरान से प्राप्त जानकारी एवं पंचायत के वारिस प्रमाण पत्र अनुसार उदा पुत्र लादू के पांच पुत्रिया मधुदेवी, मिठूदेवी, सुन्दरीदेवी, परमादेवी पप्पूदेवी थी। पुत्र नही था। मधुदेवी(मदूड़ी) के वारिस अमराराम, बीरमराम, रूपाराम, दयालराम (पुत्रगण) तथा पुत्रिया दुर्गादेवी, पुजादेवी हैं। मौतबिरान ने बताया कि उपरोक्त खसरों में उदा पुत्र लादू की भूमि मदूड़ी के वारिसान द्वारा ही काश्त के रूप में काम में लर जा रही हैं। अन्य का कब्जा नही हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बहस में वकील वादीगण ने जाहिर किया कि वादपत्र में वर्णित आराजी उदा पुत्र लादू के 1/10 हिस्से में माफिक राजीनामा वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें एवं खसरा नम्बर 2812/6 के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाना का नाम उदा पुत्र लादू के स्थान पर उदा पुत्र लाडू दर्ज हैं जो गलत हैं, जिसे हटाकर वादीगण के नाना का सही व वास्तविक नाम उदा पुत्र लादू दुरूस्त दर्ज करने का आदेश फरमावें। वस्तुतः उदा पुत्र श्री लादु ने अपने जीवनकाल में ज्येष्ठ पुत्री मदुड़ी(मधुदेवी) के सेवा चाकरी से संतुष्ठ एवं खुश होकर दिनांक 23.04.1998 को वाद पत्र के पद नं. 01 व 02 में वर्णित कृषि भूमियों में से अपने 1/5 हक एवं हिस्से की भूमि का एक पंजीबद्ध वसीयतनामा अपनी जयेष्ठ पुत्री मदुड़ी पत्नी श्री हरीराम जाति- गुर्जर निवासी- केसरपुरा के पक्ष में तहरीर एवं तकमिल करवा दिया। स्व0 उदा पुत्र श्री लादुजी के जायन्दा कोई पुत्र नहीं था तथा स्व0 उदा पुत्र श्री लादु के जायन्दा 5 पुत्रियां हुई जिसमें ज्येष्ठ पुत्री मदुड़ी(मधुदेवी) है जो वादीगण की माता है एवं वसीयतगृहिता है जिसकी मृत्यु दिनांक 02.08.2015 को हो चुकी है एवं शेष चार पुत्रियां जो प्रतिवादीगण संख्या 15/1 लगायत 15/4 है तथा स्व0 उदा पुत्र श्री लादु के जायन्दा कोई पुत्र नहीं होने से स्व0 उदा पुत्र श्री लादु ने अपने नाम एवं वंश को आगे चलाने के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 16 जोराराम को अपनी समाज की रीति रिवाज अनुसार गोद ले लिया और वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि स्व0 उदा पुत्र श्री लादु के 1/5 हक हिस्से की भूमि जो वसीयतसुदा भूमि थी। उसमें से आधी यानि 1/2 हिस्से की भूमि दिनांक 20.12.2011 को जोराराम जो प्रतिवादी संख्या 16 के पक्ष में बेचान कर दी।शेष चार पुत्रियां जो प्रतिवादीगण संख्या 15/1 लगायत 15/4 ने भी वादीगण पक्ष में राजीनामा पेश कर वादीगण को उदा पुत्र लादू के नाम की कृषि भूमि में खादेदार घोषित किया जाता हैं तो कोई आपति नही जाहिर की हैं। लिहाजा वादपत्र में वर्णित आराजी उदा पुत्र लादू के 1/10 हिस्से में माफिक राजीनामा वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना एवं खसरा नम्बर 2812/6 के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाना का नाम उदा पुत्र लादू के स्थान पर उदा पुत्र लाडू दर्ज हैं जो गलत हैं, जिसे हटाकर वादीगण के नाना का सही व वास्तविक नाम उदा पुत्र लादू दुरूस्त दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-पाटण पटवार हल्का-रास-2, तहसील-जैतारण में आराजी विवरण खाता सं0 120 के खसरा नंबर 2951 रकबा 07-10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2952 रकबा 00-12 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नंबर 2953 रकबा 18-05 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2954 रकबा 05-15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2955 रकबा 08-17 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2956 रकबा 11-09 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2958 रकबा 08-12 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2959 रकबा 03-06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2960 रकबा 15-11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2961रकबा 07-03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2963 रकबा 03-00 बीघा किस्म चाही दोयम, कुल खसरा 11 कुल रकबा 90-00 व खाता संख्या 121 के खसरा नंबर 2893 रकबा 09-04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

2895/1 रकबा 43-10 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 52-14 बीघा एवं खाता सं. 6 खसरा नम्बर 2812/6 रकबा 02-00 बीघा भूमि में उदा पुत्र लादू के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खसरा नम्बर 2812/6 के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाना का नाम उदा पुत्र लादू के स्थान पर उदा पुत्र लाडू दर्ज हैं जो गलत हैं, सही व वास्तविक नाम उदा पुत्र लादू दुरूस्त दर्ज करने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 24/09/2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज.)

Scanned by CamScanner